इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 जनवरी 2020—माघ 7 शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2020

क्र. 1615-24-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 27 जनवरी 2020 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ११ सन् २०२०

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१९

[दिनांक २७ जनवरी, २०२० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २७ जनवरी, २०२० को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में,—

(१) धारा ९ में,—

(क) उपधारा (१) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(क) नगरपालिक वार्डों से निर्वाचित पार्षदों द्वारा निर्वाचित महापौर;";

(ख) उपधारा (४) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(४) यदि किसी नगरपालिक क्षेत्र का कोई वार्ड, पार्षद् का निर्वाचन करने में असफल रहता है, तो ऐसे वार्ड के स्थान को भरने के लिए छह माह के भीतर नई निर्वाचन कार्यवाहियां प्रारंभ की जाएंगी और जब तक उस स्थान को भरा नहीं जाता, उसे आकस्मिक रिक्ति समझा जाएगा:

परंतु अध्यक्ष, महापौर, किन्हीं विभागीय समितियों या समितियों में से किसी के निर्वाचन की कार्यवाहियां ऐसे स्थान का निर्वाचन लंबित रहते स्थगित नहीं की जाएंगी.".

(२) धारा १० में, उपधारा (४) में, प्रथम परन्तुक में, शब्द "छह मास" के स्थान पर, शब्द "दो मास" स्थापित किए जाएं.

(३) धारा १२ में,—

(एक) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्डं अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(घ) किसी पंचायत या किसी नगरपालिका के नगरपालिक क्षेत्र से संबंधित किसी निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत नहीं है;";

(दो) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़े जाएं, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण. १**—इस धारा के प्रयोजन हेतु "पंचायत" का वही अर्थ होगा जैसा कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) की धारा २ के खण्ड (सत्रह) में इसके लिए समनुदेशित किया गया है.

''**स्पष्टीकरण.** २—इस धारा के प्रयोजन हेतु ''नगरपालिक क्षेत्र'' का वही अर्थ होगा जैसा कि मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा ३ के खण्ड (१८-क) में इसके लिए समनुदेशित किया गया है.''.

(४) धारा १४ में,—

(क) उपधारा (१) में, शब्द ''तथा महापौर'' का लोप किया जाए;

(ख) उपधारा (२) में, शब्द ''तथा महापौर'' का लोप किया जाए.

(५) धारा १४-क में, उपधारा (१) में, शब्द ''महापौर'' के स्थान पर, शब्द ''पार्षद'' स्थापित किया जाए.

(६) धारा १४-ख में, शब्द ''महापौर'' के स्थान पर, शब्द ''पार्षद'' स्थापित किया जाए.

(७) धारा १४-ग में, शब्द ''या महापौर'' का लोप किया जाए.

(८) धारा १५ में,—

(क) शब्द ''या महापौर'' का लोप किया जाए;

(ख) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु कोई भी व्यक्ति पार्षदों के किसी निर्वाचन में एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा.''.

(९) धारा १६ में, उपधारा (४) का लोप किया जाए.

(१०) धारा १७ में,—

(क) उपधारा (१) में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द ''या महापौर'' का लोप किया जाए;

(दो) प्रारंभिक पैरा में, शब्द ''या महापौर'' का लोप किया जाए;

(तीन) खण्ड (ख ख) में, शब्द ''या महापौर'' का लोप किया जाए;

(ख) उपधारा (२) में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द ''या महापौर'' का लोप किया जाए;

(दो) प्रारंभिक पैरा में, शब्द ''या महापौर'' का लोप किया जाए;

(तीन) खण्ड (ङ) में, शब्द ''या महापौर'' का लोप किया जाए;

(ग) उपधारा (३) में, शब्द ''पार्षद या महापौर'' जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द ''पार्षद'' स्थापित किया जाए.

(११) धारा १७-ख में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में, शब्द "महापौर तथा" का लोप किया जाए;

(ख) उपधारा (१) में, प्रारंभिक पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"प्रत्येक पार्षद्, यथास्थिति, निगम के प्रथम सम्मिलन में अध्यक्ष (स्पीकर) के चुनाव में भाग लेने के पूर्व या अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष निम्नलिखित प्ररूप में शपथ या प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करेगा:—";

(ग) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(२) यदि पार्षद् उपधारा (१) के अधीन शपथ नहीं लेता है, तो यह समझा जाएगा कि ऐसे पार्षद् ने अपना पद ग्रहण नहीं किया है:

परंतु यदि पार्षद्, संभागीय आयुक्त की अनुमति के सिवाय, उसके निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से तीन माह के भीतर शपथ नहीं लेता है तो उसका स्थान स्वयंमेव ही रिक्त हुआ समझा जाएगा.".

(१२) धारा १८ में,—

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"अध्यक्ष तथा महापौर का निर्वाचन";

(ख) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(१) राज्य निर्वाचन आयोग, धारा २२ के अधीन निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, अध्यक्ष तथा महापौर के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निर्वाचित पार्षदों का सम्मिलन बुलाएगा.";

(ग) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(३) उपधारा (१) के अधीन सम्मिलन, ऐसी रीति में बुलाया जाएगा, जैसी कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अवधारित की जाए, जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी. अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को मत देने का अधिकार नहीं होगा और मत बराबर होने की दशा में परिणाम लाट द्वारा ऐसी रीति में विनिश्चत किया जाएगा, जैसी कि विहित की जाए.".

(१३) धारा २० में, स्पष्टीकरण में, शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात्, शब्द "तथा महापौर" अन्त:स्थापित किए जाएं.

(१४) धारा २३-क में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में तथा उपधारा (१) में, शब्द "अध्यक्ष" जहां कहीं भी आया हो, के पश्चात्, शब्द "या महापौर" अन्त:स्थापित किए जाएं;

(ख) उपधारा (२) के खण्ड (दो) में, शब्द "महापौर" के स्थान पर, शब्द "अध्यक्ष, महापौर," स्थापित किए जाएं.

(१५) धारा २४ का लोप किया जाए.

(१६) धारा ४४१ में, उपधारा (२) में, खण्ड (ख) में, उपखण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(तीन) महापौर के निर्वाचन की दशा में, किसी निर्वाचित पार्षद् द्वारा.".

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में,— **मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन.**

(१) धारा १९ में,—

(क) उपधारा (१) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(क) नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् के निर्वाचित पार्षदों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष अर्थात् सभापति (चेयरपर्सन);

(ख) उपधारा (४) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(४) यदि किसी नगरपालिक क्षेत्र का कोई वार्ड, पार्षद् का निर्वाचन करने में असफल रहता है तो ऐसे वार्ड के स्थान को भरने के लिए छह माह के भीतर नई निर्वाचन कार्यवाहियां प्रारंभ की जाएंगी और जब तक उस स्थान को भरा नहीं जाता, उसे आकस्मिक रिक्ति समझा जाएगा:

परंतु अधिनियम के अधीन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किन्हीं समितियों के निर्वाचन की कार्यवाहियां ऐसे स्थान का निर्वाचन लंबित रहते हुए स्थगित नहीं की जाएंगी.".

(२) धारा २० में, उपधारा (२) में, खण्ड (ख) में, उपखण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(तीन) अध्यक्ष के निर्वाचन की दशा में, किसी पार्षद् द्वारा;".

(३) धारा २९ में, उपधारा (४) में प्रथम परन्तुक में, शब्द "छह मास" के स्थान पर, शब्द "दो मास" स्थापित किए जाएं.

(४) धारा ३० में,—

(एक) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(घ) किसी पंचायत या किसी नगरपालिक निगम के नगरपालिक क्षेत्र से संबंधित किसी निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत नहीं है;";

(दो) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़े जाएं, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण. १**—इस धारा के प्रयोजन हेतु "पंचायत" का वही अर्थ होगा जैसा कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) की धारा २ के खण्ड (सत्रह) में इसके लिए समनुदेशित किया गया है.

स्पष्टीकरण. २—इस धारा के प्रयोजन हेतु "नगरपालिक क्षेत्र" का वही अर्थ होगा जैसा कि मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा ५ के खण्ड (३४-क) में इसके लिए समनुदेशित किया गया है.".

(५) धारा ३२ में,—

(क) उपधारा (१) में, शब्द "अध्यक्ष तथा" का लोप किया जाए;

(ख) उपधारा (२) में, शब्द "अध्यक्षों तथा" का लोप किया जाए;

(६) धारा ३२-क में, उपधारा (१) में, शब्द "अध्यक्ष" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द "पार्षद" स्थापित किया जाए.

(७) धारा ३२-ख में, शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर, शब्द "पार्षद" स्थापित किया जाए.

(८) धारा ३२-ग में, शब्द "या अध्यक्ष" का लोप किया जाए.

(९) धारा ३३ में,—

(क) प्रारंभिक पैरा में, शब्द "या अध्यक्ष'" का लोप किया जाए;

(ख) विद्यमान परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु कोई भी व्यक्ति पार्षद के किसी निर्वाचन में एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा.".

(१०) धारा ३५ में, शब्द "अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन या" का लोप किया जाए.

(११) धारा ४३ में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में, शब्द "उपाध्यक्ष" के पूर्व, शब्द "अध्यक्ष तथा" अंत:स्थापित किए जाएं;

(ख) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(१) राज्य निर्वाचन आयोग, नगरपालिका परिषद् एवं नगर परिषद् के प्रत्येक निर्वाचन के तुरंत पश्चात् अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, करवाएगा. परिषद् के निर्वाचित सदस्य धारा ५५ में यथाविनिर्दिष्ट अपने प्रथम सम्मिलन में निर्वाचित सदस्यों में से, विहित रीति में एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे.";

(ग) उपधारा (३) में, शब्द "उपाध्यक्ष" के पूर्व, शब्द "अध्यक्ष तथा" अंत:स्थापित किए जाएं.

(१२) धारा ४३-क में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में, शब्द "उपाध्यक्ष" के पूर्व, शब्द "अध्यक्ष या" अंत:स्थापित किए जाएं;

(ख) उपधारा (१) में, शब्द "उपाध्यक्ष" जहां कहीं भी वे आए हों, के पूर्व, शब्द "अध्यक्ष या" अंत:स्थापित किए जाएं;

(ग) उपधारा (२) में, खण्ड (दो) में, शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर, शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष" स्थापित किए जाएं.

(१३) धारा ४७ का लोप किया जाए.

(१४) धारा ५५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"५५. (१) राज्य निर्वाचन आयोग, धारा ४५ के अधीन निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से १५ दिन के भीतर, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निर्वाचित पार्षदों का सम्मिलन बुलाएगा. **साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सम्मिलन.**

(२) उपधारा (१) के अधीन सम्मिलन, ऐसी रीति में बुलाया जाएगा, जैसी कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अवधारित की जाए, जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी. अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को मत देने का अधिकार नहीं होगा और मत बराबर होने की दशा में परिणाम लाट द्वारा ऐसी रीति में विनिश्चित किया जाएगा, जैसी कि विहित की जाए.".

(१५) धारा ५६ में, अंक "४७" का लोप किया जाए.

(१६) धारा ६२ में, उपधारा (३) में, खण्ड (तीन) के परंतुक में, शब्द, अंक तथा अल्पविराम "या ४७," का लोप किया जाए.

(१७) धारा ६३ में, परन्तुक में, शब्द "उपाध्यक्ष या" का लोप किया जाए.

(१८) धारा ३२८ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ख) में, शब्द "उपाध्यक्ष" जहां कहीं भी वे आए हों, के पूर्व, शब्द "अध्यक्ष तथा" अंत:स्थापित किए जाएं.

४. (१) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०१९ (क्रमांक ७ सन् २०१९) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के अधीन की गई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2020

क्र. 1615-24-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2020) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 11 OF 2020

THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019

[Received the assent of the Governor on the 27th January, 2020; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 27th January, 2020.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventieth year of the Republic of India as follows :—

Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019.

PART I
AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956
(No. 23 of 1956)

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956. 2. In the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956),—

(1) In Section 9,—

(a) in sub-section (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) a Mayor elected by the elected Councillors from the municipal wards;";

(b) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(4) If any ward of any municipal area fails to elect a Councillor, fresh election proceedings shall be commenced for such ward within six months to fill the seat and until the seat is filled it shall be treated as casual vacancy:

Provided that proceedings of election of Speaker, Mayor, any departmental Committees or any of the Committee shall not be stayed, pending the election of such seat.".

(2) In Section 10, in sub-section (4), in the first proviso, for the words "six months", the words "two months" shall be substituted.

(3) In Section 12,—

(i) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

"(d) is not registered in any electoral roll related to a Panchayat or municipal area of a municipality,";

(ii) after the proviso, the following explanations shall be added, namely:—

"**Explanation.** 1—For the purpose of this section "Panchayat" shall have the same meaning as assigned to it in clause (xvii) of section 2 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994).

Explanation. 2—For the purpose of this section "municipal area" shall have the same meaning as assigned to it in clause (18-a) of section 3 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961).".

(4) In Section 14,—

(a) in sub-section (1), the words "and Mayors" shall be omitted;

(b) in sub-section (2), the words "and Mayors" shall be omitted.

(5) In Section 14-A, in sub-section (1), for the word "Mayor", the word "Councillor" shall be substituted.

(6) In Section 14-B, for the word "Mayor", the word "Councillor" shall be substituted.

(7) In Section 14-C, the words "or a Mayor" shall be omitted.

(8) In Section 15,—

(a) the words "or Mayor" shall be omitted;

(b) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that no person shall vote more than once in any election of the Councillors.".

(9) In Section 16, sub-section (4) shall be deleted.

(10) In Section 17,—

(a) in sub-section (1),—

(i) in the marginal heading, the words "or Mayor" shall be omitted;

(ii) in the opening paragraph, the words "or Mayor" shall be omitted;

(iii) in clause (bb), the words "or Mayor" shall be omitted;

(b) in sub-section (2),—

(i) in the marginal heading, the words "or Mayor" shall be omitted;

(ii) in the opening paragraph, the words "or Mayor" shall be omitted;

(iii) in clause (e), the words "or Mayor" shall be omitted;

(c) in sub-section (3), for the words "Councillor or Mayor" wherever they occur, the word "Councillor" shall be substituted.

(11) In Section 17-B,—

(a) in the marginal heading, the words "the Mayor and" shall be omitted;

(b) in sub-section (1), for the opening paragraph, the following paragraph shall be substituted, namely:—

"Every Councillor shall before taking part in the election of Speaker in the first meeting of the Corporation or before entering upon his office, as the case may be, shall make and subscribe in the presence of the officer authorised

by the State Election Commission an oath or affirmation in the following form:—";

(c) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(2) If the Councillor does not take an oath under sub-section (1), it shall be deemed that such Councillor has not assumed his office:

Provided that except with the permission of the Divisional Commissioner, if any Councillor does not take an oath within three months from the date of his election or nomination, his seat shall be deemed to have been vacant ipso facto.".

(12) In Section 18,—

(a) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:—

"Election of Speaker and Mayor";

(b) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) The State Election Commission shall, within fifteen days of the notification of election under section 22, call a meeting of the elected Councillors for the purpose of electing a Speaker and Mayor.";

(c) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(3) Meeting under sub-section (1) shall be called in such manner as may be determined by the State Election Commission, which shall be presided over by the officer authorised by the State Election Commission. The presiding officer shall not have the right to vote and in case of equality of votes the result shall be decided by lot in such manner as prescribed.".

(13) In Section 20, in the Explanation, after the words "the Speaker", the words "and the Mayor" shall be inserted.

(14) In Section 23-A,—

(a) in the marginal heading and in sub-section (1), after the word "Speaker" wherever it occurs, the words "or Mayor" shall be inserted;

(b) in clause (ii) of sub-section (2), for the word "Mayor", the words "Speaker, Mayor", shall be substituted.

(15) Section 24 shall be deleted.

(16) In Section 441, in sub-section (2), in clause (b), for sub-clause (iii), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(iii) in the case of election of Mayor, by any elected Councillor.".

PART II
AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961
(No. 37 of 1961)

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 37 of 1961.

3. In the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961(No. 37 of 1961),—

(1) In Section 19,—

(a) in sub-section (1), for clause (a), the following clause shall be substituted,

namely:—

"(a) President, that is chairperson, elected by the elected Councillors of Municipal Council or Nagar Parishad;

(b) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(4) If any ward of any municipal area fails to elect a Councillor, fresh election proceedings shall be commenced for such ward within six months to fill the seat and until the seat is filled, it shall be treated as casual vacancy:

Provided that proceedings of election of President or Vice-President, or any of the Committees under the Act shall not be stayed, pending the election of such seat.".

(2) In Section 20, in sub-section (2), in clause (b), for sub-clause (iii), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(iii) in the case of election of President by any Councillor;".

(3) In Section 29, in sub-section (4), in the first proviso, for the words "six months", the words "two months" shall be substituted.

(4) In Section 30,—

(i) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

(d) is not registered in any electoral roll related to a Panchayat or municipal area of a municipal corporation;";

(ii) after the proviso, the following explanations shall be added, namely:—

"**Explanation**. 1—For the purpose of this section "Panchayat" shall have the same meaning as assigned to it in clause (xvii) of section 2 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994).

Explanation. 2—For the purpose of this Section "municipal area" shall have the same meaning as assigned to it in clause (34-a) of Section 5 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956).".

(5) In Section 32,—

(a) in sub-section (1), the words "President and" shall be omitted;

(b) in sub-section (2), the words "Presidents and" shall be omitted.

(6) In Section 32-A, in sub-section (1), for the word "President" wherever it occurs, the word "Councillor" shall be substituted.

(7) In Section 32-B, for the word "President", the word "Councillor" shall be substituted.

(8) In Section 32-C, the words "or President" shall be omitted.

(9) In Section 33,—

(a) in the opening paragraph, the words "or President" shall be omitted;

(b) for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that no person shall vote more than once in any election of the Councillor.".

(10) In Section 35, the words "election as a President or" shall be omitted.

(11) In Section 43,—

(a) in the marginal heading, before the words "Vice President", the words, "the President and" shall be inserted;

(b) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) The State Election Commission shall cause the election of President and Vice President immediately after every election of Municipal Council and Nagar Parishad in such manner as may be prescribed. The elected members of the Council shall elect a President and a Vice-President in the prescribed manner, from elected members in its first meeting as specified in Section 55.";

(c) in sub-section (3), before the words "Vice-President", the words "the President and" shall be inserted.

(12) In Section 43-A,—

(a) in the marginal heading, before the words "Vice-President", the words, "the President or" shall be inserted;

(b) in sub-section (1), before the words "Vice-President" wherever they occur, the words, "the President or" shall be inserted;

(c) in sub-section (2), in clause (ii), for the word "President", the words "President, Vice-President" shall be substituted.

(13) Section 47 shall be deleted.

(14) For Section 55, the following Section shall be substituted, namely:—

First meeting after general election.

"55.(1) The State Election Commission shall, within 15 days from the date of the notification of election under Section 45, call a meeting of the elected Councillors for, the purpose of electing a President and Vice-President.

(2) Meeting under sub-section (1) shall be called in such manner as may be determined by the State Election Commission, which shall be presided over by the officer authorised by the State Election Commission. The presiding officer shall not have the right to vote and in case of equality of votes, the result shall be decided by lot in such manner as prescribed.

(15) In Section 56, the figure "47" shall be omitted.

(16) In Section 62, in sub-section (3), in the proviso to clause (iii), the word, figure and comma "or 47," shall be omitted.

(17) In Section 63, in the proviso, the words "Vice President, or", shall be omitted.

(18) In Section 328, in sub-section (1), in clause (b), before the word "Vice- President" wherever they occur, the words "President and" shall be inserted.

Repeal and saving.

4. (1) The Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2019 (No. 7 of 2019) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.